/

# राजस्थान सरकार
## कृषि विभाग

क्रमांकः कृषि (ग्रुप–1)/मोनि/2019                                    दिनांकः 25 मार्च, 2020

जिला कलक्टर
समस्त

विषयः फसल कटाई कार्य में कोविड–19 के खतरे को दूर करने हेतु दिशा–निर्देश।

वर्तमान में रबी 2019–20 फसलों की कटाई चलने के परिप्रेक्ष्य में कटाई कार्य में कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के खतरे को दूर करने हेतु कृषि विभाग द्वारा संलग्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

कृपया निर्देशों को अपने जिले में अधिक से अधिक प्रसारित करवाने का श्रम करावें।

25/3/2020

(नरेश पाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव
कृषि एवं उद्यानिकी

<u>प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. व0 उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उद्यानिकी एवं सहकारिता विभाग, राजस्थांन सरकार, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. आयुक्त उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि
14. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद।

25/3

www.rajteachers.com

(डॉ0 एस0 पी0 सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कृषि विभाग

## फसल कटाई के संबंध में दिशा–निर्देश

वर्तमान में विभिन्न फसलों की हो रही कटाई को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई कार्य में कोविड–19 के खतरे को दूर करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

- फसल कटाई यथा संभव मशीन चलित उपकरणों से की जावे। हस्तचलित कटाई उपकरण काम में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से कीटाणु रहित (senitize) करें।
- फसल कटाई में social distancing की सख्ती से पालना की जावे। खेत में फसल काटने, खाना खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जावे। खाने के बर्तन अलग–अलग रखें तथा प्रयोग पश्चात् साबुन के पाने से अच्छी तरह साफ करें।
- एक व्यक्ति द्वारा काम में लिये जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कदापि काम में न ले। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने–अपने उपकरण ही काम में लेवें।
- कटाई के दौरान बीच–बीच में अपने हाथों को साबुन के पाने से अच्छी तरह साफ करते रहें।
- कटाई कार्य अवधि में पहले दिन पहने कपड़े दूसरे दिन काम में न लें। काम में लिये कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने के पश्चात् ही पुनः काम में लेवें।
- कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अपनी अलग–अलग पानी की बोतल रखें।
- कटाई करने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें।
- अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार, सरदर्द, बदनदर्द आदि के लक्षण हैं तो उसे फसल कटाई कार्य से अलग रखें तथा तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को सूचित करें।
- खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी व साबुन की उपलब्धता रखें।
- थ्रेसिंग कार्य के दौरान भी उपरोक्त अनुसार social distancing, मास्क का प्रयोग, खाने व पानी पीने के बर्तनों का प्रयोग, आदि सभी सावधानियों का पूर्ण गम्भीरता से पालन करें।

(डॉ0 एस0 पी0 सिंह)<br>
संयुक्त शासन सचिव<br>
कृषि (ग्रुप–1) विभाग<br>
शासन सचिवालय, जयपुर

www.rajteachers.com

Scanned with CamScanner